JALAUN POLICE

दिनांक – 30.10.2026

थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल मय कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.10.2026 को थाना स्थानीय पर आवेदिका के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र बताया गया कि आवेदिका अपने मकान का निर्माण कार्य करवा रही थी, जिस पर विपक्षी पड़ोसी के द्वारा मकान निर्माण कार्य करने से अनावश्यक रूप से रोका गया। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका के द्वारा मकान निर्माण न रोके जाने पर विपक्षी के द्वारा गाली-गलौज करते हुए अपनी लाइसेंसी राइफल से जान से मारने की नीयत से आवेदिका पर फायर किया गया था। वादिया के तहरीर के आधार पर थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1.भानु प्रताप पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम बिरहरा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के निर्देशन में दौराने विवेचना दिनांक 30.10.2026 को थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा अभियुक्त भानू उपरोक्त को 01 अदद लाइसेंसी एनपीबोर राइफल 315 बोर मय 01 अदद खोखा व 02 अदद जिंदा कारतूस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. भानु प्रताप पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम बिरहरा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट।

बरामदगी का विवरण -

1. 01 अदद लाइसेंसी एनपीबोर राइफल 315 बोर मय 01 अदद खोखा व 02 अदद जिंदा कारतूस।

पुलिस टीम का विवरण -

1. थानाध्यक्ष सिरसाकलार मय टीम